भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3347
गुरुवार 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

लेह विमानपत्तन पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं

3347. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार लेह के कुशोक बकुला रिनपोछे विमानपत्तन पर अनियमित अपशिष्ट निपटान और कूड़े के ढेरों के कारण आवारा कुत्तों का रनवे में प्रवेश करने और विमानपत्तन के पास पक्षियों के टकराने के बढ़ते जोखिम सहित हाल ही में उत्पन्न सुरक्षा समस्याओं से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विशेषकर लेह की सीमित उड़ान अवधि को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा और विमानपत्तन के दैनिक संचालन पर ऐसी घटनाओं के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विमानपत्तन के आसपास खुले में कूड़े के ढेर को हटाने, पक्षियों को रोकने के लिए बर्ड स्पाइक्स जैसे उपाय करने और आवारा जानवरों को रनवे में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं; और
(घ) क्या सरकार का विमानन प्राधिकरणों, स्थानीय प्रशासन और वन्यजीव प्रबंधन प्राधिकरणों के समन्वय से नियमित निगरानी और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करने का विचार है ताकि इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विमानपत्तन पर उड़ान सुरक्षा, विशेषकर नागरिक और रक्षा अभियानों में, खतरे में न पड़े और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ) : वर्ष 2025 में लेह हवाईअड्डे पर आवारा जानवरों के तीन (03) मामले रिपोर्ट किए गए थे। तथापि, वन्यजीवों के टकराव की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई थी। लेह हवाईअड्डा सिविल एन्क्लेव है जहां रनवे सहित प्रचालन क्षेत्र भारतीय वायु सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों पर संभावित वन्यजीव खतरों की नियमित निगरानी और उन्हें रोकने के लिए नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) विनियम, एयरोड्रोम परामर्शिका परिपत्र और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एयरोड्रोम प्रचालक वन्यजीव खतरे की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करते हैं जो वन्यजीव खतरा प्रबंधन योजना का भाग है। तदनुसार अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियों को सुदृढ़ करने सहित एयरोड्रोम के आसपास वन्यजीव गतिविधि को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ हवाईक्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समिति (एईएमसी) के रूप में नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

******